

झारखंड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची (झारखण्ड)

पत्र सं०- 2.वि०प्रा०/योजना -35/15

/राँची, दिनांक-

प्रेषक,

जॉर्ज कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सहायक निदेशक-सह-
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
तकनीकी शिक्षा निदेशालय।

प्राचार्य,
राजकीय महिला पोलिटेकनिक, जमशेदपुर।

विषय:-

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत आयोजित प्रशिक्षण एवं विकास, इंस्टीट्यूट नेटवर्किंग और सहयोग/सेमिनार, समारोह तथा कार्यशाला आदि के निमित्त कार्यक्रम आयोजित करने हेतु कुल 4,33,340/- (रु० चार लाख तैंतीस हजार तीन सौ चालीस) मात्र का आवंटन की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के पत्रांक-257 दिनांक-21.03.2024 एवं विभागीय स्वीकृत्यादेश सं० 03/योजना दिनांक 27.05.2024 के आलोक में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत सेमिनार/समारोह/कार्यशाला आदि के निमित्त रोजगार मेले एवं अन्य कार्यक्रम आयोजित किये जाने के निमित्त कुल 4,33,340/- (रु० चार लाख तैंतीस हजार तीन सौ चालीस) मात्र की आवंटन की स्वीकृति निम्न तालिका के अनुसार प्रदान की जाती है-

क्र०	पोलिटेकनिक का नाम	विपत्र कोड
		सेमिनार/समारोह/कार्यशाला 43S220300003A7010321
1.	सहायक निदेशक-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, तकनीकी शिक्षा निदेशालय।	3,68,140.00
2.	राजकीय महिला पोलिटेकनिक, जमशेदपुर	65,200.00
कुल		4,33,340.00

- उक्त व्यय का वहन चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य स्कीम बजट मुख्य शीर्ष- 2203-तकनीकी शिक्षा लघुशीर्ष-003-प्रशिक्षण-उपशीर्ष-A7-प्रशिक्षण एवं विकास, इंस्टीट्यूट नेटवर्किंग और सहयोग-विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय के सेमिनार/समारोह/कार्यशाला ईकाई में उपबंधित राशि के अन्तर्गत होगा। विपत्र कोड - 43S220300003A7010321
- उक्त राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्राचार्य, राजकीय महिला पोलिटेकनिक, जमशेदपुर एवं सहायक निदेशक-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, तकनीकी शिक्षा निदेशालय, झारखण्ड या विभाग द्वारा घोषित पदाधिकारी होंगे।
- राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, जमशेदपुर से की जायेगी।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह आश्वस्त होने के उपरान्त ही उक्त राशि की निकासी नियमानुसार करेंगे कि इस कार्य के लिये अन्य स्रोतों से राशि प्राप्त नहीं किया गया है।
6. यह राशि राज्य स्कीम से संबंधित है तथा स्कीम कोड 1288 है।
7. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561 दिनांक 17/4/98 के आलोक में की जाएगी राशि की निकासी एवं व्ययन के पूर्व वित्त विभाग के उपर्युक्त पत्र में निहित दिशा-निर्देश एवं समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत परिपत्रों का अनुपालन करना आवश्यक होगा। साथ ही वित्त विभाग के आदेश पत्रांक-257 दिनांक-21.03.2024 का अक्षरशः पालन अनिवार्य होगा।
8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी होगी कि राशि का भुगतान बैंक एकाउन्ट अंतरण के माध्यम से नियमानुसार किया जाएगा तथा राशि भुगतान में विहित प्रक्रिया का अनुपालन कर लिया जाय।
9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी आवंटनादेश निर्गत होने के पश्चात ही राशि की निकासी एवं व्ययन करने के क्रम में विपत्र पत्र पर तदनुसार उपर्युक्त कंडिका 2 के बजट शीर्ष विपत्र पर अंकित करेंगे।
10. स्वीकृति राशि के अंकेक्षण का अधिकार, महालेखाकार, झारखण्ड एवं वित्त विभाग (अंकेक्षण) का होगा।
11. झारखंड कोषागार संहिता के नियम 174 का पालन सख्ती से किया जाय।
12. प्रस्ताव पर विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।
13. व्यय विवरणी, टी०भी०नं० सहित संकलित एवं संधारित कर महालेखाकार कार्यालय जाकर लेखाओं का सत्यापन/मिलान त्रैमासिकी सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(जॉर्ज कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- 2.वि०प्रा०/योजना -35/15

/राँची, दिनांक-

प्रतिलिपि- सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- 2.वि०प्रा०/योजना -35/15/०६/बजट

/राँची, दिनांक- 23.08.2024

प्रतिलिपि-महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग झारखण्ड/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/निदेशक, तकनीकी शिक्षा/निदेशक, उच्च शिक्षा/विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/बजट पदाधिकारी/विभागीय नोडल पदाधिकारी, ई-गजट/बजट पदाधिकारी/निर्गत शाखा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव।



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Higher and Technical Education Department (Technical Education Division)

चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 2.vpp-35/15/08/BUDGET

दिनांक - 23-Aug-2024

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 43 220300003A7010321 2203 - तकनीकी शिक्षा 00 - तकनीकी शिक्षा 003 - प्रशिक्षण A7 - प्रशिक्षण एवं विकास, इंस्टीट्यूट नेटवर्किंग और सहयोग 01-प्रशिक्षण एवं विकास, इंस्टीट्यूशनल नेटवर्किंग और सहयोग. 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme State Scheme : TRAINING & DEVELOPMENT, INSTITUTIONAL NETWORKING & COLLABORATION(1288) Central Scheme : NA	52432	DRNEDN047 DR. RAJSHEKHAR PRASAD ASSTT. DIR.CUM DDC T. EDN. DIR 21 - सेमिनार/समारोह/कार्यशाला	368,140.00 रुपये तीन लाख अड़सठ हजार एक सौ चालीस
2	S 43 220300003A7010321 2203 - तकनीकी शिक्षा 00 - तकनीकी शिक्षा 003 - प्रशिक्षण A7 - प्रशिक्षण एवं विकास, इंस्टीट्यूट नेटवर्किंग और सहयोग 01-प्रशिक्षण एवं विकास, इंस्टीट्यूशनल नेटवर्किंग और सहयोग. 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme State Scheme : TRAINING & DEVELOPMENT, INSTITUTIONAL NETWORKING & COLLABORATION(1288) Central Scheme : NA	52433	JSREDN266 DR.SANJEEV KUMAR PRINC.I/C GOVT WOMENS POLYTEC 21 - सेमिनार/समारोह/कार्यशाला	65,200.00 रुपये पैंसठ हजार दो सौ

योग: रुपये चार लाख तैतीस हजार तीन सौ चालीस

क्रमिक योग:

(GEORGE KUMAR)
JOINT SECRETARY

433,340.00

